न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी: अरविन्द शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 55/2025 FSSA

1.सरकार जरिये महेश कुमार सैनी खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, दौसा।

आवेदक–

बनाम

1. श्री नीरज गोहिल पुत्र श्री राधेश्याम गोहिल मैसर्स:– कंवरपुरा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिती लिमिटेड पता:–कंवरपुरा, तह० लवाण दौसा जिला दौसा ।

– अभियुक्त–

(जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011)

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।

: अप्रार्थी अभियुक्त उपस्थित।

–::आदेश::– दिनांक:–18.02.2026

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 10.06.2025 को दोपहर 12.30 बजे मैसर्स कंवरपुरा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड पता:– कंवरपुरा, तह० लवाण जिला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय फर्म पर विक्रेता श्री नीरज गोहिल पुत्र श्री राधेश्याम गोहिल उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ पंजीकरण दिखाने के लिए कहां, तो उसने खाद्य पदार्थ पंजीकरण नहीं होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की फर्म पर साफ सुथरी BMC में लगभग 800 लीटर खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध लूज (Mixed Milk Loose) रखा हुआ था में मिलावट का शक होने पर नमूने की जॉच हेतु 2 लीटर खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध लूज (Mixed Milk Loose) खरीदा। जिसकी कीमत 120 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया। नमूने के लिए खरीदशुदा 2 लीटर खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध लूज (Mixed Milk Loose) को हिला–मिलाकर मैश कर 4 साफ, सूखी, खाली प्लास्टिक बोतलो में बराबर–बराबर डालकर प्रत्येक बोतल में 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 40–40 बूंदे डालकर प्रत्येक बोतल पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कोड एवं क्रमांक एजी 4787 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबार कर्ता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये चारो नमूना भागो को अलग अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नंबर एजी 4787 नियमानुसार चारो नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये की पेपर स्लीप व रैपर पेपर दोनो पर आवे चारों नमूना भागों पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बंद चारो नमूना भागो को अपने जाब्ते में लिया। आवेदक ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. को देकर उसकी रसीद फार्म न. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे विक्रेता व गवाहान को पढ़कर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफबीओ व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

Scanned with OKEN Scanner

की छः प्रतियाँ तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म न. 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बन्द पैकिट एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म न. 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बन्द पैकिट व फार्म न. 6 की सील बन्द लिफाफा श्री सुमेर सिंह आरएचजी 89 दौसा द्वारा दिनांक 11.06.2025 को खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, राजस्थान, अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द पैकिट व फार्म न. 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर श्री महेश कुमार सैनी खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं द्वारा दिनांक 11.06.2025 को डी. ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाकर तथा नमूने का चतुर्थ सील बन्द पैकिट व फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 11.06.2025 को डी.ओ. व सीएमएचओ को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। उक्त खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध लूज (Mixed Milk Loose) के नमूने की खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/434/एक्ट/2025/433 दिनांक 22.06.2025 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध लूज (Mixed Milk Loose) का नमूना अमानक स्तर (Sub-standard) का पाया गया है। अभियुक्त ने एफएसएसए 2006 की धारा 26 (2) (II) (III) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51 एवं 58 एफएसएसए 2006 में वर्णित है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध न्याय निर्णय आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त उपस्थित हुआ। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध लूज (Mixed Milk Loose) के नमूने की खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/434/एक्ट/2025/433 दिनांक 22.06.2025 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध लूज (Mixed Milk Loose) के नमूने की जांच में **Milk Fat FSSAI manuals of methods of analysis of Food, 2016. Milk and Milk Products Results 4.0%** आयी है जो निर्धारित मानकों के अनुसार कम से कम 4.5 प्रतिशत होनी चाहिए। इस कारण से उक्त खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध लूज (Mixed Milk Loose)का नमूना अमानक (SubStandard) स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने अमानक (Substandard) स्तर के खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध लूज (Mixed Milk Loose) का विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II)(III) का उल्लंघन किया है। अतः धारा 51 एवं 58 एफएसएसए 2006 में वर्णित प्रावधानो के तहत अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि प्रार्थी मैसर्स कंवरपुरा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड कंवरपुरा, तहसील लवाण जिला दौसा का मालिक है। प्रार्थी द्वारा उक्त फर्म पर दूध क्रय करके बीएमसी में एकत्रित कर जयपुर डेयरी, जयपुर जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड में भिजवाया जाता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बीएमसी में लगभग 800 लीटर खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध लूज (Mixed Milk Loose) में से 2 लीटर खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध लूज (Mixed Milk Loose) खरीदा। प्रार्थी को उक्त खाद्य पदार्थ का अमानक स्तर के होने की जानकारी नही थी। प्रार्थी भविष्य में इस प्रकार की गलती नही करेगा। कृपया कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करें।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्याः 55 / 2025 FSSA

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस / 434 / एक्ट / 2025 / 433 दिनांक 22.06.2025 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध लूज (Mixed Milk Loose) का नमूना अमानक (Substandard) स्तर का पाया गया है। उक्त नमूना निर्धारित शुद्धता मानको के अनुरूप नहीं होने से एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II)(III) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51 एवं 58 एफएसएसए 2006 में वर्णित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अमानक (SubStandard) स्तर के खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध लूज (Mixed Milk Loose) का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी नीरज गोहिल पुत्र श्री राधेश्याम गोहिल मैसर्सः—कंवरपुरा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड पताः—कंवरपुरा, तह० लवाण दौसा जिला दौसा(राज0) पर 10,000 /—रूपये (अक्षरे दस हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 18.02.2026 के एक माह के अन्दर—अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित (Chief Medical & Health Officer Dausa) के मद 0210—04—800—03—00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 18.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/2/26

(अरविन्द शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांकः FSSA/26/62-64

दिनांकः— 24 .02.2026

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज. जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री नीरज गोहिल पुत्र श्री राधेश्याम गोहिल मैसर्सः— कंवरपुरा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिती लिमिटेड पताः—कंवरपुरा, तह० लवाण दौसा जिला दौसा ।

18/2/26

(अरविन्द शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

Scanned with OKEN Scanner